GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

(आदेश क्र.–सम–दिनांक:–12.06.2025 से प्रतिस्थापित)

उद्देश्य वक्तव्य

(गवर्नमेंट मॉडल संस्कृती और पीएम श्री विद्यालयों के शिक्षकों की तैनाती नीति 2025)

दिनांक:– 12.06.2025 आदेश क्र. KW 2/1-2024 MSS

1. क्या GMS/PMS स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य है?

स्पष्टीकरण:

यह स्पष्ट किया जाता है कि GMS/PMS विद्यालयों में नियुक्ति पूरी तरह से विकल्प आधारित (choice-based) है, अतः स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करना शिक्षकों पर कोई अनिवार्य दायित्व नहीं डालेगा कि वे कोई पोस्टिंग स्वीकार करें। स्क्रीनिंग टेस्ट केवल पात्रता निर्धारित करता है, और वास्तविक नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना स्वैच्छिक होगा।

2. यदि GMS/PMS ड्राइव के माध्यम से शिक्षक को पसंदीदा स्टेशन उपलब्ध न हों, तो क्या शिक्षक को किसी अन्य स्टेशन पर नियुक्त किया जाएगा? और क्या जो शिक्षक GMS/PMS नियुक्ति ड्राइव में भाग लेंगे, उनकी पोस्ट को स्वतः रिक्त घोषित कर दिया जाएगा?

स्पष्टीकरण:

GMS/PMS ड्राइव में निम्न व्यवस्था होगी:

क. सामान्य विद्यालयों के शिक्षक जिनके लिए ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य है –

- **GMS/PMS** ड्राइव में भाग लेकर कम से कम 03 विकल्प भरेंगे।
- यदि उन में से उन्हें अपना पसंदीदा विद्यालय मिलता तो उनके पद को 'परिकल्पित रिक्ति' घोषित किया जाएगा ।
- यदि उन में से उन्हें अपना पसंदीदा विद्यालय नहीं मिलता तो उन्हें अनिवार्य रूप से GTD में भाग लेना होगा और उनके पद को 'परिकल्पित रिक्ति' घोषित किया जाएगा।

ग. सामान्य विद्यालयों के शिक्षक जिनके लिए ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य नहीं वरन ऐच्छिक है–

- GMS/PMS ड्राइव में भाग लेकर कम से कम 03 विकल्प भरेंगे।
- यदि उन में से उन्हें अपना पसंदीदा विद्यालय मिलता तो उनके पद को 'परिकल्पित रिक्ति' घोषित किया जाएगा।
- यदि उन में से उन्हें अपना पसंदीदा विद्यालय नहीं मिलता तो शिक्षकों को उनकी पसंद के अतिरिक्त किसी अन्य स्टेशन पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से हटने का विकल्प दिया जाएगा और वो अपने वर्तमान विद्यालय में कार्यकाल पूरा होने तक रह सकते हैं अथवा GTD में ऐच्छिक रूप से भाग भी ले सकते है।
- GTD में भाग लेने हेतु स्वीकृति देते ही उनके पद को 'परिकल्पित रिक्ति' घोषित किया जाएगा।

3. क्या CENTA (2022) के माध्यम से नियुक्त आरोही विद्यालयों के नियमित शिक्षक स्क्रीनिंग टेस्ट के बिना GMS/PMS नियुक्ति ड्राइव में भाग ले सकते हैं?

स्पष्टीकरण:

क. ऐसे शिक्षक, जो पहले ही स्क्रीन किए जा चुके हैं और आरोही विद्यालयों में नियमित सेवा दे रहे हैं, और यदि उन्होंने 3 वर्ष का अनिवार्य कार्यकाल पूर्ण कर लिया है तो उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट प्रदान की जायेगी व ऐसे शिक्षक:

- GMS/PMS ड्राइव में भाग लेकर कम से कम 03 विकल्प भरेंगे।
- यदि उन में से उन्हें अपना पसंदीदा विद्यालय नहीं मिलता तो शिक्षकों को उनकी पसंद के अतिरिक्त किसी अन्य स्टेशन पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- उन्हें नियुक्ति प्रकिया से हटने का विकल्प दिया जायेगा और वो अपने वर्तमान विद्यालय में कार्यकाल पूरा होने तक रह सकते है, व GTD में ऐच्छिक रूप से भाग भी ले सकते है।
- GTD में भाग लेने हेतु स्वीकृति देते ही उनके पद को 'परिकल्पित रिक्ति' घोषित किया जाएगा।

ख. ऐसे शिक्षक, जो पहले ही स्क्रीन किए जा चुके हैं और आरोही विद्यालयों में नियमित सेवा दे रहे हैं, किन्तु उन्होंने 3 वर्ष का अनिवार्य कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है तो:–

- GMS/PMS ड्राइव में भाग लेकर कम से कम 03 विकल्प भरेंगे।
- उन में से उन्हें अपना पसंदीदा विद्यालय नहीं मिलता तो उन्हें GMS/PMS विद्यालयों में कार्यरत पात्रता पास शिक्षकों की तरह ही GMS/PMS drive में कोई भी स्टेशन दे दिया जायेगा व उनके पद को 'परिकल्पित रिक्ति' घोषित किया जाएगा।

4. क्या ANO (NCC) शिक्षकों को GMS/PMS विद्यालयों में भी कार्यकाल संरक्षण मिलेगा जैसा कि सामान्य स्थानांतरण नीति में है?

स्पष्टीकरण:

- यदि ऐसे शिक्षक जो बिना स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण किए GMS/PMS विद्यालयों में नियुक्त हैं यदि वो GMS/PMS पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लें तो ऐसे शिक्षकों को GMS/PMS विद्यालयों में नियुक्ति की तिथि से निर्धारित कार्यकाल अर्थात 10 वर्ष पूर्ण होने तक बने रहने दिया जायेगा।
- यदि ऐसे शिक्षक (जो GMS/PMS पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना पहले से किसी GMS/PMS विद्यालय में GTD के माध्यम से पदासीन है या अब GMS/PMS पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके GMS/PMS विद्यालय में आये हैं) का पद वैज्ञानिकरण प्रक्रिया में विद्यालय से हट जाता है अथवा उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उन्हें कार्यकाल संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।
- ऐसे शिक्षक यदि GMS/PMS पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो सामान्य शिक्षकों के लिए निर्धारित कार्यकाल अर्थात 05 वर्ष पूर्ण होते ही उनके पद को 'परिकल्पित रिक्ति' घोषित किया जाएगा। व उन्हें GTD में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा।

5. क्या B.Ed. रहित शिक्षक (उदाहरणार्थ : PGT Computer Science जिन्हें B.Tech. के आधार पर नियुक्त किया गया है) GMS / PMS पात्रता परीक्षा में भाग लेने के पात्र हैं?

स्पष्टीकरण:–

- ऐसे शिक्षक, जिनकी नियुक्ति हेतु **B.Ed.** आवश्यक नहीं है/थी, उनके केवल 03 शैक्षणिक योग्यता (10वीं, स्नातक व परास्नातक) में प्राप्त अंकों को भारित औसत के माध्यम से 40 अंकों में से प्राप्त किए अंकों में तब्दील कर दिया जाएगा। इससे ऐसे शिक्षकों को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वे अपने ही कैडर व विषय के अभ्यर्थियों से प्रतिस्पर्धा करेंगे।
- ऐसे किसी भी शिक्षक ने यदि B.Ed. की भी हुई है वो B.Ed. के प्राप्तांक भर सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में प्राप्तांक चारों शैक्षणिक योग्यताओं (अर्थात 10वीं, स्नातक, परास्नातक व बी.एड.) में प्राप्तांक को आधार बनाया जाएगा।

- यदि ऐसे शिक्षक जिन्होंने B.Ed की तो हुई है किन्तु वो नियुक्ति के समय इसकी अनिवार्यता न होने के कारण B.Ed के अंक प्रदर्शित किए बिना आवेदन प्रपत्र भरते हैं तो उनके केवल 03 शैक्षणिक योग्यता (10वीं, स्नातक व परास्नातक) में प्राप्त अंकों को भारित औसत के माध्यम से 40 अंकों में तब्दील कर दिया जाएगा।

6. CENTA (2022) उत्तीर्ण परंतु GMS / PMS में पोस्टिंग न पाने वाले शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट करें।

स्पष्टीकरण:

- वर्तमान नीति के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई अध्यापक GMS/PMS पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी GMS/PMS विद्यालय में नियुक्त नहीं हो पाता तथा सामान्य विद्यालय में कार्य कर लेता है तो उसकी पात्रता की वैधता समाप्त हो जाती है।
- लेकिन जो शिक्षक CENTA के माध्यम से GMS/PMS विद्यालयों में नियुक्त हुए थे और निरंतर वहीं कार्यरत हैं, वे सभी लाभों के पात्र रहेंगे।

प्रभारी
मॉडल संस्कृत एवं पीएम श्री स्कूल्स
कृते: प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग
हरियाणा सरकार